अगस्त 2022 | संस्करण 3

वुमन-लोर्स फ्रॉम इंडियाज पिट्स

एक त्रैमासिक ई-न्यूज़लेटर

जिला खनिज निधि - प्रभावित महिलाओं एवं बच्चों के लिए

न्यूजलेटर के इस संस्करण में, हम भारत के खनन प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की कहानियों और अनुभवों को उनकी मांगों और जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड के उचित उपयोग की आवश्यकता को उजागर करने के लिए लाए हैं।

डीएमएफ ट्रस्ट फंड को खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन बनाया गया है ताकि खनन के संचालन में जवाबदेही हो और इन गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित पारिस्थितिकी और समुदायों के पुनर्वास के सुविधा मिले।

हालांकि, खनन से जंगलों और जल निकायों को व्यापक नुकसान हो रहा है, जिस पर ये समुदाय निर्भर हैं, इस प्रकार उनकी खाद्य सुरक्षा, आजीविका और सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। चूंकि महिलाएं और बच्चे सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हैं, इसलिए उन्हें डीएमएफ के तहत प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इस संस्करण में

समाचार 02

धरातल की कहानी 06

समाचार

- छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिमंडल ने पारित किया पेसा नियम, *2022*
- खान मंत्रालय ने डीएमएफ के तहत पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना पर आदेश पारित किए
- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में वार्षिक लौह अयस्क उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के लिए मंजूरी दी
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एफसी नियम *2022*
- पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों पर सुझाव माँग गया
- चावल की मजबूती पर छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य कार्यक्रम की तथ्यान्वेषी टीम

छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिमंडल ने पारित किया पेसा नियम, 2022

नए नियम ग्राम सभाओं को उनके संबंधित गांवों की सीमाओं के भीतर सभी भूमि और वन संसाधनों और गतिविधियों पर अधिकार के लिए सर्वोच्च अधिकार देते हैं, विशेष रूप से, पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने में अहम भूमिका देते है।नियमों की एक प्रमुख विशेषता में महिलाओं, बच्चों और अन्य वंचित समूहों (महिला सभा, बाल सभा) के लिए विशेष सभाओं का गठन किया जाएगा और विशेष रूप से राज्य के कार्यक्रमों की निर्णय लेने, निगरानी और समीक्षा की भूमिका प्रदान करेगा।ग्राम सभाओं को अब अपनी पंचवर्षीय योजनाएँ बनाने का अधिकार है।

छत्तीसगढ़ पेसा नियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

लघु खनिजों के प्रबंधन में ग्राम सभा की शक्ति

1. पूर्वेक्षण लाइसेंस, खनन पट्टा देने या नीलामी के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य है। कंपनी द्वारा परियोजना का पूरा विवरण ग्राम सभा को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. बाहरी एजेंसियों को लाइसेंस देने से पहले, गौण खनिजों के उपयोग का पहला अधिकार समुदाय के सदस्यों के पास उनकी पारंपरिक जरूरतों के लिए है।

3. खनन पट्टा देने की शर्तों पर ग्राम सभा सुझाव दे सकती है। ग्राम सभा पर्यावरणीय गिरावट पर रिपोर्ट कर सकती है और स्थितियों में सुधार के लिए दिशा दे सकती है।

4. ग्राम सभा की सीमा के भीतर अवैध खनन गतिविधियों पर शांति समिति कार्रवाई करेगी।

महिलाओं और बच्चों के लिए के विशेष सभा

1. गांव की सभी वयस्क महिलाएं महिला सभा का हिस्सा होंगी और अध्यक्ष केवल अनुसूचित जनजाति से होंगे।

2. ग्राम सभा को एक महिला सभा का गठन करना होगा और एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए।

3. विकलांग, तृतीय लिंग, वरिष्ठ नागरिकों और वंचित समूहों के लिए वर्ष में कम से कम एक बैठक अलग से आयोजित की जानी चाहिए।

4. बाल सभा का आयोजन वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए जिसमें 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के लड़के-लड़कियां इस बैठक का हिस्सा बन सकें।

5. इन विशेष सभाओं में लिए गए निर्णयों को ग्राम सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए और उन पर चर्चा की जानी चाहिए।

बड़े पैमाने पर खनन और वनरोपण कार्यक्रमों के लिए भूमि और जंगलों के मोड़ के संबंध में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के सामने आने वाले बढ़ते खतरों के संदर्भ में, नए पेसा नियम जो ग्राम सभाओं को अपार शक्ति प्रदान करते हैं। इस विकेन्द्रीकृत शासन की प्राप्ति में राज्य की प्रतिबद्धताओं का आह्वान करते हैंयह महिलाओं की आवाज को न्याय प्रदान करने की प्रथागत और संवैधानिक प्रक्रियाओं के भीतर लाने का एक नया अवसर प्रदान करता है यदि महिला सभाओं को उनके वन अधिकारों, विरासत अधिकारों और उनके प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण उल्लंघन की निगरानी की गंभीर चिंताओं को उठाने में सक्षम बनाया जा सकता है।

यहां पढ़ें पूरे नियम

खान मंत्रालय ने डीएमएफ के तहत पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना पर आदेश दिया

आदेश डीएमएफ को अंतराल की पहचान करने के लिए ग्राम सभाओं के परामर्श से आधारभूत सर्वेक्षण करने और प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के तहत डीएमएफ फंड के उपयोग के लिए एक पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना के साथ आने का निर्देश देता हैं।

आदेश यहां पढ़ें।

खान मंत्रालय: धातुकर्म ग्रेड बॉक्साइट के लिए एएसपी की गणना में परिवर्तन पर परामर्श

Representative Image
Credits: Bishnu Sarangi from Pixabay

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में वार्षिक लौह अयस्क उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के लिए मंजूरी दी

शीर्ष अदालत ने कर्नाटक के तीन जिलों की खदानों से लौह अयस्क के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया।शीर्ष अदालत ने इससे पहले बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षरण और उल्लंघन को रोकने के लिए 2012 में इस तरह के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिलों में वार्षिक लौह अयस्क उत्पादन सीमा 7 एमएमटी से बढ़ाकर 15 एमएमटी और बल्लारी जिले में 28 एमएमटी से बढ़ाकर 35 एमएमटी कर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में यहां और पढ़ें।

खान मंत्रालय ने निम्न-श्रेणी के लोहे के लाभकारी के लिए नीति की सिफारिश की

खान मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने निम्न-श्रेणी के लौह अयस्क (58% से कम लौह सामग्री) के कम से कम 80 प्रतिशत को उच्च श्रेणी के अयस्क (62% लौह सामग्री) में अपग्रेड करने की सिफारिश की। समिति ने निर्देश का पालन करने में विफलता के लिए दंड (जुर्माना और खान पट्टे की समाप्ति) की भी सिफारिश की।

और पढ़ें।

जनजातीय और नागरिक समाज समूहों ने वन संरक्षण नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को रोकने की मांग की

MoEFCC (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) द्वारा अधिसूचित वन वार्तालाप नियम 2022 ने आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों के लिए आसन्न खतरों पर आदिवासी समुदायों और नागरिक समाज समूहों के बीच गंभीर चिंता पैदा की। ऐतिहासिक रूप से आदिवासी महिलाएं अपनी जैव विविधता की रक्षा करने और इन संसाधनों से जुड़ी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का अभ्यास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रस्तावित संशोधनों से वन संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच और उनके अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का अनुमान है।इन लैंगिक प्रभावों और संशोधनों को रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कई समूहों द्वारा मंत्रालय को एक सामूहिक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया था।

यहां प्रतिनिधित्व पढ़ें।

नागरिक समाज के विशेषज्ञों ने छत्तीसगढ़ के खनन प्रभावित जिलों में राज्य के खाद्य कार्यक्रम के चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम और आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए तथ्य-खोज की

खान मंत्रालय ने अपने पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए सुझाव मांगे

खान मंत्रालय ने पीएमकेकेकेवाई कार्यक्रम और जिला खनिज निधि के कार्यान्वयन के लिए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए सूजव मांगा है।MMDR अधिनियम के तहत इसकी शुरुआत के बाद से, DMF एक गंभीर रूप से दुरुपयोग किया गया फंड रहा है, जिसने न तो समुदायों को राहत दी है और न ही प्रभावित श्रमिकों को या उन इको-सिस्टम को जो गैर-जिम्मेदार खनन कार्यों द्वारा व्यापक विनाश के अधीन किया हैं।नागरिक समाज समूहों ने कॉल का जवाब दिया है और मंत्रालय को सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जो राज्यों में छोटे और बड़े पैमाने की खदानों में प्रभावित समुदायों द्वारा साझा किए गए व्यापक विचारों और शिकायतों के आधार पर हैं, जो अवैध खनन के लिए अंधे हैं और कई उल्लंघनों में सक्रिय रूप से निष्क्रिय हैं।

यहां प्रतिनिधित्व पढ़ें।

धरातल की कहानी

डीएमएफ के उद्देश्यों को खनन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों के पूरक के लिए कहा गया है। वर्तमान दिशा-निर्देश निर्देश देते हैं कि प्रत्येक जिला प्रभावित ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के परामर्श से पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करें, जिसके आधार पर वार्षिक योजनाएँ तैयार की जानी हैं।इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि खान और श्रम मंत्रालयों में डीएमएफ फंड और कई अन्य खान कर्मचारी कल्याण कोष की भूमिका, उस मामले के लिए, 'प्रदूषक वेतन' सिद्धांतों के तहत खनन कंपनियों की जिम्मेदारियों को दोहराना नहीं है।जबकि कंपनियां शिकायत करती हैं कि वे रॉयल्टी का भुगतान करती हैं, डीएमएफ में योगदान करती हैं, कर्नाटक सरकार के केएमईआरसी फंड जैसे उल्लंघनों पर दंड का भुगतान करती हैं और खनन क्षेत्रों के कल्याण के लिए अपने सीएसआर कार्यक्रमों के तहत पैसा भी खर्च करती हैं।

दूसरी ओर, खनन प्रभावित समुदायों और क्षेत्रों को बिना किसी निवारण या बहाली के गंभीर पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।यह कि उनके अधिकांश मौलिक अधिकारों में बाधा बनी हुई है और उनके प्राकृतिक संसाधनों को खनन कार्यों के लिए कानूनी रूप से और अवैध रूप से मोड़े जाने से उनका उल्लंघन होता है।

डीएमएफ परियोजनाओं की वर्तमान सूची में, बिना किसी प्रभावी दिशा-निर्देश के उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जो इन क्षेत्रों के भीतर खनन प्रभावों पर राज्य की जिम्मेदारियों को शामिल करते हैं।यह सर्वविदित है और रिपोर्ट किया गया है कि डीएमएफ फंड का उपयोग बड़े पैमाने पर सामान्य या असंबंधित उद्देश्यों के लिए किया गया है यदि इसका उपयोग किया जाता है। तब डीएमएफ फंड के उपयोग के तौर-तरीके और रणनीति क्या होनी चाहिए और उचित योजना के लिए प्रभावों की पहचान क्या होनी चाहिए।इन निधियों के शासन की संरचना और जवाबदेही तंत्र क्या होना चाहिए, जो प्रभावित समुदायों की प्रभावी सार्वजनिक भागीदारी और निर्णय लेने के लिए पर्याप्त रूप से निर्धारित नहीं हैं।

हम यहां डीएमएफ-महिलाओं और बच्चों के तहत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक पर चर्चा करने के लिए बड़े पैमाने पर, छोटी, अवैध और परित्यक्त खानों में महिलाओं और बच्चों के अनुभवों और कहानियों से कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।ये कहानियां उनके दैनिक जीवन की गुणवत्ता, उनकी मांगों और जरूरतों पर पड़ने वाले प्रभावों को बताती हैं और इस श्रेणी के तहत डीएमएफ फंड का बेहतर उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और कैसे विकेंद्रीकरण शासन दिशानिर्देशों में अधिक स्पष्टता ला सकता है।

अब तक, डीएमएफ फंड या तो आंगनबाड़ियों और स्कूलों जैसे बुनियादी ढांचे पर या महिलाओं के लिए बीज, सिलाई मशीन या एसएचजी योजनाओं जैसे छोटे कल्याणकारी प्रोत्साहनों पर खर्च किया जाता है।फिर भी, खनन प्रभावित समुदायों में महिलाओं के सामने गहरी चुनौतियाँ और माँगें हैं। दिशानिर्देशों को इन पर ध्यान देना चाहिए।

सामुदायिक समूहों ने किया छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट और कोयला खानों का लिंग प्रभाव आकलन

- दिशानिर्देशों में प्रभावित महिला किसानों की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिए
- आदिवासी आजीविका में महिलाएं किसान और प्राथमिक अभिनेता हैं
- खनन उन्हें किसानों, ग्रामीणों, वनवासियों और वन श्रमिकों के रूप में प्रभावित करता है
- दूषित भूमि और जल निकायों की सफाई और बहाली महिलाओं के लिए उच्च प्राथमिकता है

'हमारी कुटकी और उड़द खत्म हो गई है':

सरगुजा के बॉक्साइट खनन क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं की शिकायत है कि भूजल की कमी और धूल प्रदूषण के कारण उनकी कृषि बुरी तरह प्रभावित है। रायगढ़, छत्तीसगढ़ में प्रभावित महिलाओं पर खनन के सूक्ष्म स्तर के आकलन में, साक्षात्कार में शामिल 61 प्रतिशत महिलाओं ने खनन गतिविधियों से उनकी कृषि पर प्रत्यक्ष प्रभाव की सूचना दी। उपरोक्त रिपोर्ट करने वालों में से, 38% पहले से ही गंभीर फसल हानि और कम पैदावार का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण अब उत्पादन

सड़क के किनारे कृषि भूमि पर नकारात्मक प्रभाव फ्लाई ऐश डंपिंग के कारण

उत्तरदाता अपने द्वारा उगाई जाने वाली सब्जियों के स्वाद में परिवर्तन की शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब से मिट्टी की बनावट बदल गई है और फसलें धूल से ढकी हुई हैं, तब से उड़द, रहर, कुर्थी और मूंगफली जैसी सब्जियां, दाल और अनाज नहीं उगाए जा सकते। सरगुजा जिले के टिकरापारा और बर्दानपारा गांवों में, 52.7% ने धूल और जल प्रदूषण के कारण मिट्टी के रंग और बनावट में बदलाव की सूचना दी है, जिससे पैदावार में कमी आई है। उन्होंने यह भी बताया कि खदान विस्फोटों के बाद उनके खेतों में बिखरे पत्थर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे उन्हें अपने खेती वाले क्षेत्र को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। महिलाओं के लिए, यह उनकी खाद्य सुरक्षा पर सीधा नकारात्मक प्रभाव डालता है। अभी तक, कोई आकलन नहीं आयोजित किया गया है या फसल की विफलता के लिए मुआवजा प्राप्त हुआ है या कोई भूमि बहाली कार्य शुरू किया गया है।

महिलाओं ने शिकायत की कि उन्होंने खनन गतिविधियों के लिए अपनी सहमति भी नहीं दी थी। डीएमएफ दिशानिर्देश महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता नहीं देते हैं जबकि महिलाओं की जरूरतें मुख्य रूप से उनके भूमि-आधारित प्रभावों से जुड़ी होती हैं। डीएमएफ से अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करने के संबंध में, जूनापारा से 89.2% और टिकरापारा और बर्दानपारा गांवों की 61.4% महिलाओं ने कहा कि उनकी कृषि को बहाल करना उनकी प्राथमिक मांग है। भूमि को समतल करना, विषाक्त पदार्थों को दूर करने के लिए मिट्टी की सफाई करना और अपने खेतों की सिंचाई करने वाले जलाशयों की सफाई करना महिलाओं की प्रमुख मांग है। लगभग 95% उत्तरदाताओं ने शिकायत की कि उनकी फसलों और घरों पर धूल प्रदूषण से फसलों और समुदाय के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो रहा है। सरगुजा जिला डीएमएफ के तहत महिलाओं से संबंधित परियोजनाओं के लिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि पिछले दो वर्षों से रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

जंगल के बिना आजीविका की इस्तिथि:

सरायटोला, रायगढ़ में 75% आदिवासी महिलाओं ने अपनी वन भूमि के अधिग्रहण से आय और आजीविका के नुकसान का अनुभव किया, जो व्यक्तिगत वन अधिकारों (आईएफआर) के तहत पात्र हैं। लगभग 43% उत्तरदाताओं ने बताया कि पट्टे वाली उनकी व्यक्तिगत वन भूमि, खनन के लिए ली गई थी। महिलाओं ने यह भी बताया कि महुआ, चार, बेहरा, हर, पीपल, बांस, कोसम, इमली, तेंदू और साल के पत्ते, सहजन, सरसोवा, अमरूद, जामुन, सागवान, नीम जैसे गैर-लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) से उनकी आजीविका चली गई। आम और कई अन्य किस्में। चूंकि गांव के पास के जंगल को कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है, 75% महिलाओं ने कहा कि वे जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, खनन वाहनों के यातायात में वृद्धि मुख्य कारणों में से एक है। उन्होंने एनटीएफपी और जड़ी-बूटियों की उपलब्धता में कम से कम 52% की कमी की सूचना दी जो वे भोजन और घरेलू उपचार के लिए एकत्र करते हैं।

- दिशानिर्देश पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में जिला से ग्राम सभा स्तर तक डीएमएफ के विकेंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- ग्राम सभा को उनकी सीमाओं के भीतर खनन परियोजनाओं के पर्यावरण लेखा परीक्षा का अधिकार होना चाहिए(छत्तीसगढ़ के लिए नए पेसा नियमों के संदर्भ में जिसमें कार्यों की समीक्षा में महिला सभाओं की भूमिका शामिल है)
- पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों में प्रक्रियाओं, समयसीमा और रिपोर्टिंग तौर-तरीकों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

अधिग्रहित भूमि का मुआवजा और पुनर्वास:

सरगुज के मैनपथ तहसील के केसर पंचायत के जूनापारा गांव और बरिमा पंचायत के टिकरापारा और बरदंडपारा गांवों से कुल 61.3 एकड़ एफआरए पट्टा भूमि और 470.9 एकड़ राजस्व भूमि का अधिग्रहण किया गया था। तीन गांवों के 46 परिवारों को आंशिक रूप से मुआवजा नहीं दिया गया। सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुल 33 परिवारों ने सीधे एफआरए पट्टा भूमि खो दी, जिनमें से 24 परिवारों को आंशिक रूप से मुआवजा नहीं मिला। जिन 76 परिवारों की राजस्व भूमि ली गई थी, उनमें से 22 परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है।

लोगों के लिए, यह अप्रासंगिक है कि पैसा डीएमएफ या अन्य स्रोतों से दिया गया है - कि उनकी जमीन बिना सहमति के हड़प ली गई थी या मुआवजा नुकसान और उल्लंघन बना हुआ है।यह समुदाय के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। हालांकि, दिशानिर्देश यह इंगित नहीं करते हैं कि क्या पीएमकेकेकेवाई कम से कम पुनर्वास, आजीविका और ईआईए और ईएसआईए प्रतिबद्धताओं की शर्तों की पूर्ति की आवधिक समीक्षा के लिए डीएमएफ फंड के उपयोग तक विस्तारित है।यदि ग्राम सभाओं विशेषकर अनुसूची पांच के क्षेत्रों में जहां खनन परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर विस्थापन देखा गया है, को वास्तव में शामिल किया जाना था, तो खनन प्रभावित क्षेत्रों के शासन में इन खामियों और उल्लंघनों को उजागर किया जाएगा।

पानी: सभी महिलाओं द्वारा उठाई गई एक गंभीर चिंता जल और जल निकायों की विषाक्त स्थिति थी क्योंकि खनन कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं।षित, समाप्त और कुछ जल निकायों के पाठ्यक्रम को भी बदल दिया।

सिर्फ आरओ प्लांट और हैंडपंप ही नहीं, महिलाएं सिंचाई और पीने के पानी के स्रोतों की सफाई चाहती हैं।

घरेलू और अन्य उद्देश्यों के लिए जल संकट के मुद्दे को लाल झंडी दिखा दी गई है क्योंकि 90% उत्तरदाताओं ने अपने सामुदायिक जल स्रोतों में खनन के प्रत्यक्ष प्रभावों पर रिपोर्ट की है। समुदाय के सदस्यों से साक्षात्कार में, 65.8% ने कुओं, बोर-कुओं, झरनों और तालाबों के सूखने, भूजल स्तर में कमी, पानी का ठहराव, पानी की कमी और रायगढ़ और सरगुजा दोनों में पानी के दूषित होने की सूचना दी है। कोल वाशरी से सामुदायिक जल स्रोत जैसे तालाब और नाले प्रदूषित होते हैं।

तलब का प्रदूषित पानी

गाँव में लोग प्रदूषित तलब का उपयोग कपड़े धोने और नहाने के लिए कर रहे है

प्रदूषित पानी में नहाने और अपने दूषित खेतों में लंबे समय तक काम करने के कारण लोग त्वचा रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। महिलाओं ने शिकायत की कि ये प्रदूषित जल स्रोत मनुष्यों या मवेशियों के उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं। खदान-संयंत्रों के लिए पानी के डायवर्जन के कारण जल स्तर में कमी आई है। उन्होंने देखा कि गहरे बोरवेल खोदते समय कई पत्थर फट जाते हैं और मिट्टी टूट जाती है, जिससे पानी में रसायन निकल जाते हैं। सरायटोला में वे फ्लोरोसिस, मस्कुलोस्केलेटल समस्याओं, थकान, दांतों की विकृति और हड्डियों की भंगुरता आदि जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। बलजोर गांव के उत्तरदाताओं ने बताया कि जल स्रोत इतने प्रदूषित हैं कि स्थानीय डॉक्टर उनका उपयोग न करने की सलाह देते हैं। रायगढ़ के तमनार में एक जल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन लोगों का कहना है कि भूजल नहीं होने के कारण यह बेकार है।

बच्चे का दाँत फलरोसिस के वझा से ख़राब हो गया

सराईटोला में *RO* प्लांट लगाया गया

हालांकि पेयजल एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, लेकिन अधिकांश जगहों पर डीएमएफ कार्यान्वयन की प्रकृति अप्रभावी है। अधिकांश व्यय जल उपचार आरओ संयंत्रों या कभी-कभी, हैंडपंपों पर किया गया है। अधिकांश स्थानों पर, प्रभावित समुदाय शिकायत करते हैं कि ये संयंत्र केवल अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं और भूल गए हैं। हैंडपंप अप्रभावी हैं क्योंकि भूजल समाप्त हो गया है और समुदाय दुर्गंधयुक्त और फीके पड़ चुके पानी की शिकायत करते हैं क्योंकि दूषित जल निकायों को साफ नहीं किया गया है या भूजल जलभृतों को पुनर्जीवित नहीं किया गया है। पानी के उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के इस तदर्थ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और महिलाओं के लिए काम का अतिरिक्त बोझ है, जिन्हें स्वच्छ जल स्रोतों की तलाश में हर दिन आगे चलना पड़ता है।

पिछली वार्षिक रिपोर्टों से महिलाओं और बच्चों के लिए सरगुजा और रायगढ़ में डीएमएफ परियोजनाओं की एक झलक

लागू डीएमएफ परियोजनाओं के साथ प्रभावित समुदायों की मांगों की तुलना करने के लिए छत्तीसगढ़ में डीएमएफ खर्च पर सटीक और नवीनतम डेटा निकालना मुश्किल हो गया है। हम यहां रायगढ़ में 2020-21 के लिए और सरगुजा से 2019-20 के लिए कथित तौर पर सीधे प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों पर खर्च किए गए धन का एक उदाहरण प्रदान करते हैं।

व्यय आंगनबाडी केंद्रों के विद्युतीकरण और पोषण प्रदान करने का संकेत देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई है (जैसे पीएमकेकेकेवाई, पोषण अभियान) और यह दिखाया गया है कि वे मौजूदा मुख्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या मुख्य आईसीडीएस पूरक पोषण कार्यक्रम पीएमकेकेकेवाई और पोषण अभियान कार्यक्रमों द्वारा पूरक है या क्या एक ही भोजन को विभिन्न शीर्षों के तहत रिपोर्ट किया गया है।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रभावित ग्राम सभाओं के परामर्श से आईसीडीएस और पीएमकेकेकेवाई के अभिसरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और प्रभावित समुदायों की आजीविका के नुकसान के कारण होने वाले कुपोषण को दूर करने के लिए हस्तक्षेप की कोई योजना है या नहीं। सभी संभावनाओं में, यह मामला नहीं है और दिशानिर्देशों में डीएमएफ फंड के उपयोग में योजना और पारदर्शिता के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करना चाहिए।

रायगढ़ और सरगुजा जिलों में महिला एवं बाल कल्याण के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण:

वर्ष	प्रोजेक्ट का विवरण	क्रियान्वयन एजेंसी	स्वीकृत राशि
2020-21	रायगढ़ के 27 आंगनबाडी केंद्रों में बिजली का काम	चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनपद पंचायत, रायगढ़, छत्तीसगढ़	₹ 14,00,000
	1 से 3 को अंडा देना साल के बच्चे और 1 दिन के लिए गर्भवती महिलाएं	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल कल्याण विभाग, रायगढ़ (छ.ग.)	₹ 1,95,43,368
	मीठा जैसा भोजन प्रदान करना दलिया, खिचड़ी और अंडा कुपोषित बच्चों को 1-3 वर्ष की आयु।	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल कल्याण विभाग, रायगढ़ (छ.ग.)	₹ 9,00,90,000
	एनीमिया से पीड़ित महिलाओं उम्र 15-49 को गर्म भोजन उपलब्ध कराना	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल कल्याण विभाग, रायगढ़ (छ.ग.)	₹ 70,00,000
2019-2020	गर्भवती महिलाओं को भोजन उपलब्ध कराना 31 मार्च, 2020 तक	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल कल्याण विभाग, सरगुजा (छ.ग.)	₹ 94,08,000
	अनैमिक और गर्भवती औरतो को साप्ताहिक अंडे देना	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल कल्याण विभाग, सरगुजा (छ.ग.)	₹ 23,41,500

ऊपर दी गई तालिका महिलाओं और बच्चों के उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कार्यान्वित परियोजनाओं के प्रकार के कुछ उदाहरण देती है। रिपोर्ट में मुख्य रूप से दो क्षेत्रों पर व्यय का संकेत मिलता है - आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के विकास/मरम्मत, और गर्भवती और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को पूरक पोषण का वितरण, और बच्चों को मध्याह्न भोजन। ये स्पष्ट रूप से डीएमएफ कार्यान्वयन की तदर्थ प्रकृति को इंगित करते हैं जिसका खनन कार्यों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कोई सीधा संबंध नहीं है।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने पोषण अभियान कार्यक्रम को डीएमएफ फंड के साथ जोड़ने के लिए कहा है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ खनन प्रभावित क्षेत्रों में लौह-फोर्टिफाइड चावल योजना का वितरण लागू कर रहा है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य पर उच्च जोखिम होने की सूचना मिली है। इसके बजाय, प्रभावित नागरिक समाज विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों से आदिवासियों की पारंपरिक खाद्य फसलों को मजबूत करने में निवेश करने का आह्वान आया है जो कुपोषण और स्टंटिंग को दूर करने के लिए पोषक तत्वों के बहुत समृद्ध स्रोत हैं। इसके अलावा, वे सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित आदिवासियों के लिए आयरन के प्राकृतिक स्रोत भी हैं।

किए गए क्षेत्र मूल्यांकन में महिलाओं की ग्राम-वार हानियों और मांगों की सूची दी गई है, जिनमें से कोई भी संबंधित विभागों की इन सेवाओं से संबंधित नहीं है। महिलाओं की प्राथमिक चिंता भूमि और जंगलों से उनके खाद्य सुरक्षा के अधिकार को वापस पाना है न कि केवल कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपील करना। वे इस बात से नाराज हैं कि उनकी भूमि न केवल जबरन ली गई, बल्कि खदानों और ब्लास्टिंग से लगातार प्रदूषित हो रही है।

तार्किक रूप से, वे अधिकारियों से अपने संसाधनों को साफ करने और सौंपने के लिए कहते हैं ताकि महिलाएं अपने भोजन और पोषण में आत्मनिर्भर हो सकें। अब नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन बनने से यह आशंका है कि खदानें बंद होने के बाद खनन के लिए ली गई उनकी जमीन उन्हें वापस नहीं की जाएगी। यहां तक कि जहां खनन गतिविधियां रोक दी जाती हैं, ये जंगल और कृषि भूमि विशाल गड्ढों या रुके हुए पानी के जलाशयों के रूप में बनी रहती है।

डीएमएफ फंड का उपयोग इन जमीनों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें प्रभावित ग्राम सभाएं पात्र मालिकों की पहचान, सत्यापन और सीएफआर के तहत सामुदायिक वन भूमि को ग्राम सभाओं को सौंपने के लिए नेतृत्व में हों। समुदायों को सौंपने से पहले धन का उपयोग कोयला सेवानिवृत्ति, भूमि बहाली और पुनर्वास के लिए किया जाना चाहिए।

न केवल पेसा समितियों को मजबूत करने के माध्यम से महिला सभाओं का संस्थागतकरण, बल्कि प्रत्येक खनन प्रभावित गांव की पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना में महिलाओं की भागीदारी के लिए तत्काल आवश्यकता है और इस प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए डीएमएफ फंड पर्याप्त रूप से संसाधन हैं। पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों के तहत ग्राम सभा परामर्श के प्रावधान का सुझाव दिया गया है और इन्हें गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए। तभी महिलाओं की प्राथमिकताएं दिखाई दे सकती हैं - डीएमएफ की पंचवर्षीय योजनाओं के भीतर महिला ऊर्जा नीति, उनकी जल और वन संसाधन योजना और संरक्षण और उनकी भूमि पर उनके औपचारिक अधिकार महत्व प्राप्त करेंगे।

डीएमएफ का हिसा : प्रभावित समुदायों की महिलाएं अपनी मांगों को लेकर आगे आईं

छत्तीसगढ़ में, एक स्थानीय महिला समूह समुदायों के बीच खनन प्रभावों का आकलन करने और डीएमएफ फंड के लिए अपनी ग्राम योजनाओं को प्रस्तुत करने के बारे में जागरूकता अभियान चला रहा है। 02 सितंबर, 2022 को लिंग प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण के निष्कर्षों को साझा करने और बारिमा पंचायत, सरगुजा, जो बॉक्साइट खनन से प्रभावित है, में डीएमएफ फंड की उनकी मांगों पर महिलाओं के साथ संवाद बनाने पर एक सामुदायिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। जीआईए हाइलाइट्स में महिलाओं को होने वाले नुकसान और जिला खनिज फाउंडेशन समिति के ध्यान में इन नुकसानों को कैसे लाया जाए, इस पर प्रकाश डाला गया।

छत्तीसगढ़ में सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह न्यूजलेटर मुख्य रूप से खनन प्रभावित समुदायों से समाचारों और कहानियों का आदान-प्रदान करने के लिए जमीन पर काम करने वाले समूहों के लिए एक सूचना मंच के रूप में है। वर्तमान में हम इसे अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ में ला रहे हैं। हम समुदायों और स्थानीय समूहों से योगदान आमंत्रित करते हैं। हम युवा और नंगे पांव शोधकर्ताओं को कहानियों और डेटा के संकलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप अपनी तस्वीरें और कहानियां किसी भी भारतीय भाषा में भेज सकते हैं।

हमें यहां लिखें: dhaatriweb@gmail.com